मनोज कुमार व अन्य

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, 28 अप्रैल 2022 को

नैनीताल में उत्तराखण्ड के उच्च न्यायालय में

2019 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 2868

मनोज कुमार व अन्य.....याचिकाकर्ता

बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य.....उत्तरदाता

वर्तमान'–

श्री अरविंद वशिष्ठ, श्री संदीप द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ताः–

तिवारी और श्री हेमंत सिंह माहरा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।

श्री नारायण दत्त, संक्षिप्त धारक राज्य के लिए।

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठानी, जे. (मौखिक) तत्काल याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता जनपद हरिद्वार में प्राथमिक विद्यालय, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग करते है।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़ कर मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है।

3. उत्तरदाताओं न 09.07.2006 को एक विज्ञापन जारी कर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2006–2007 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया था। विज्ञापन ने पात्रता को उन उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया, जिन्होंने बी.एड. डिग्री नियमित पाठयक्रम में भाग लेने के बाद प्राप्त की थी, इसके बाद, बी.एड. करने वाले उम्मीदवारों द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। पत्राचार पाठयक्रम के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा किया कि उनके अधिकारों पर विचार किया जाए 2008 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1148, अनीता वालिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, और संबंधित मामलें (''रिट याचिकाओं का पहला सेट'') 19.05.2010 में तय किए गए थे। न्यायालय ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे शेष सीटों को बी.एड. पास उम्मीदवारों से भरने की प्रक्रिया शुरू करें। जीओ

दिनांक 12.12.2007 और विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 के अनुसार पत्राचार पाठयक्रम के माध्यम से तीन महीने की अवधि के भीतर डिग्री। इस निर्णय और आदेश दिनांक 19.05.2010 को विशेष अपील संख्या 125/2010 मनोज कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अपील के तहत आदेश को संशोधित किया और निम्नानुसार देखा

1. ''.....ऊपर की हद तक, हम अपील के तहत आदेश को संशोधित करते हैं और अपील के तहत निर्णय और आदेश के उस हिस्से को रद्द करते हैं जहां यह उल्लेख किया गया है कि पत्राचार बी.एड. डिग्री धारकों के लिए 60 सीटें उपलब्ध हैं। दिनांक 17 नवम्बर 2008 के उक्त विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग के लिए समाप्त हो गया है, हम उसी स्थान पर इस आदेश के अनुसार उन सभी उम्मीदवारों की काउंसलिंग करने का निर्देश देते हुए आज से छह सप्ताह तक का विस्तार करते हैं। हालांकि काउंसलिंग की तारीख, व्याक्तिगत पत्राचार द्वारा या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा परामर्श पाने के हकदार व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा।''

4. दिनांक 19.05.2010 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध एक अन्य विशेष अपील पर भी न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2011 को विचार किया गया (विशेष अपील संख्या 162/2010, राकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य) अपने फैसले के पैरा 2 में कोर्ट ने कहा है कि :–

''..2. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए, हम 2010 की विशेष अपील संख्या 125 में दिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान विशेष अपील का भी निस्तारण करते हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते है। कि वहां होना चाहिए पत्राचार पाठयक्रम के माध्यम से प्राप्त करने वाले बीएड डिग्री धारकों के लिए उपलब्ध हरिद्वार जिले में 161 सीटों के निर्माण का कोई भ्रम नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते है। कि नियमित बीएड डिग्री धारकों के लिए उपलब्ध सीटों के लिए आवश्यक है। क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार आपूर्ति की जानी चाहिए और यदि उसकी आपूर्ति नहीं की गई है, तो उसके संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।''

5. विशेष अपील में परित इन आदेशों को 2011 की एसएलपी (सिविल) संख्या 18097 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। प्रक्रिया अभी भी जारी थी। इस बीच, उत्तरदाओं द्वारा 14.02.2014 को एक अन्य विज्ञापन जारी किया गया जिसमें बी.एड. पास उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। पत्राचार के माध्यम से डिग्री के साथ–साथ नियमित

बी.एड. विशेष बीटीसी शिक्षकों का चयन करन के उद्देश्य से डिग्री धारक। इस विज्ञापन को याचिकाकर्ताओं ने 2015 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 242, राकेश कुमार और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य में चुनौती दी थी। (''दूसरी याचिका'')। द्वितीय याचिका में राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या 162/2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.01.2011 का पालन किया जायेगा। राज्य की ओर से दिए गए आश्वासन को उद्धत करते हुए द्वितीय याचिका पर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निर्णय लिया गया।

डिग्री धारक (पत्राचार) जो 161 सीटों में से खाली हैं और अन्य का नियमित बी.एड. वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। डिग्री।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि श्री ए के जोशी, विद्वान अपर द्वारा दिए गए बयान के आलोक में वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जा सकता है। सीएससी

तदनुसार ओदश दें।

2015 का आईए नंबर 959 और 2015 का सीएलएमए नंबर 1656 भी तदनुसार निस्तारित किया जाता है।''

6. दूसरी याचिका में पारित आदेश दिनांक 26.02.2015 को 2015 की विशेष अपील संख्या 86. संजय कुमार और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य में डिवीजन बेंच के समक्ष युनौती दी गई थी । 2015 की विशेष अपील संख्या 896 को 27.03.2015 को खारिज कर दिया गया था, जिसे 2015 की एसएलपी (सिविल) संख्या13690 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी चुनौती दी गई थी।

7. ऐसा प्रतीत होता है। कि जबकि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी, उन्होंने न्यायालय के आदेश क पालन न करने लिए 2015 की अवमानना याचिका संख्या 172 के रूप में एक अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका पर फेसला 19.09.2019 को आया था। अवमानना याचिका में दिनांक 19.09.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए।

''श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, आवेदकों के अधिवक्ता श्री विवेक पाठक द्वारा सहायता प्रदान की गई।

श्री प्रदीप हेयरिया, उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी अधिवक्ता।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2015 की रिट यचिका (एस/एस) संख्या 242 को अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार दिनांक 26.02. 2015 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। उक्त आदेश का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है। डिग्री (पत्राचार) और केवल उन शेष सीटों को बीएड द्वारा भरा जाएगा। डिग्री धारक (पत्राचार) जो 161 सीटों में से खाली हैं और अन्य को नियमित बीएड वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। डिग्री

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि श्री ए के जोशी, विद्वान अपर द्वारा दिए गए बयान के आलोक में वर्तमान याचिका निस्तारण किया जा सकता है। सीएससी

तदनुसार आदेश दें।

इस अवमानना आवेदन में आवेदकों ने कथित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया है।

प्रतिवादी संख्या द्वारा एक अनुपालन हलफनामा दायर किया गया है। 4 (डॉ0 भूपेन्द्र कौर औलख, सचिव, शिक्षा) जिसमें स्टैंड लिया गया है कि आवेदकों को विशेष बीटीसी प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए चुना गया था और उन्होंने सफलतापूर्वक उक्त प्रशिक्षण पूरा कर लिया है पैराग्राफ नं0 उक्त अनुपालन हलफनामे के 8 और 9 नीचे दिए गए है।

''7. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 07.07.2005,11.07.2015 और 30.07.2015 के आदेश के अनुसार, रिट याचिका 242/एसएस/2015 के याचिकाकर्ताओं को विशेष बीटीसी प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए चुना गया था और तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया है और उसे पूरा कर लिए है।

9. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क, जैसा कि स्पष्ट है, याचिकाकर्ताओं द्वारा निकाले गए अनुमान पर अधारित है, जबकि पदो पर नियुक्ति के संबंध में इस मान्य न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था, जो विभाग द्वारा भर जाना है। जनवरी 2019 में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई आपत्ति के पैराग्राफ संख्या 2 में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है, इसलिए,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रिट कोर्ट द्वारा पारित ओदश के बावजूद आवेदकों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

चूंकि अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने केवल विशेष बीटीसी पाठयक्रम में प्रवेश के संबंध में वचन दिया था और ऐसा कोई वचन नहीं था कि इस तरह के प्रशिक्षण के सफल समापन पर आवेदकों को भी नियुक्त किया जाएगा, इसलिए, मेरी राय में कोई अवमानना नहीं बनती है। तदनुसार, अवमानना याचिका बंद की जाती है। प्रतिवादियों के खिलाफ जारी किए गए अवमानना नोटिस को खारिज किया जाता है।''

8. तत्पचात याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई है।

9. याचिकाकर्ताओं का मामला है कि विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 के जवाब में उन्होंने विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था। विशेष अपील में फैसला आने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, जिसे वे पहले ही पूरा कर चुके थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया।

10. राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। राज्य की ओर से यह दावा किया गया है कि वर्ष 2009 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए योग्यता में संशोधन किया गया है। अब प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य योग्यता, लेकिन याचिकाकर्ता पात्र नहीं; उन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है। राज्य का यह भी मामला है कि याचिकाकर्ताओं ने आयु सीमा पार कर ली है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ताओं की गलती नहीं है। वे विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र एवं पात्र है। उन्होंने कभी देरी नहीं की मामला। रेगुलर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बीच विवाद हुआ था। डिग्री और उम्मीदवार, जिन्होंने बीएड प्राप्त किया था। पत्राचार मोड़ के माध्यम से डिग्री और उम्मीदवार, जिन्होंने बीएड प्राप्त किया था। पत्राचार मोड के माध्यम से डिग्री यह मुकदमा रिट याचिकाओं के पहले सेट और 2010 की विशेष अपील संख्या 162 और 2010 की 125 के साथ–साथ 2011 की एसएलपी (सिविल) संख्या 18097 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय द्वारा पहले यह अंतिम रूप प्राप्त कर चुका था। कोर्ट ने 161 पदों को ऐसे उम्मीदवारों से भरने के लिए निर्धारित किया था, जिन्होंने बीएड पत्राचार मोड के माध्यम से डिग्री। यह तर्क दिया गया है कि रिक्ति को भरने के बजाए, प्रतिवादियों ने एक

ओर विज्ञापन जारी किया, जिसमें विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार याचिकाकर्ताओं को दूसरी रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया। जिसमें राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि विज्ञापन इस न्यायालय द्वारा 2010 के विशेष अपील संख्या 162 में परित निर्णय दिनांक 03.01. 2011 के अधीन होगा, परन्तु यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई है। इसका इंतजार फरयादी करते रहे। उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार इसने याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा ली गई इस दलील के आधार पर की उन्हें कभी भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया गया था। अवमानना याचिका बंद कर दी गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि यह जड़ता का चरण था। उत्तरदाता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें राज्य सरकार यह आश्वासन दिया गया कि विज्ञापन इस न्यायालय द्वारा 2010 की विशेष अपील सं0 162 में पारित निर्णय दिनांक 03. 01.2011 के अधीन होगा, परन्तु यह तर्क दिया है कि अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गयी इसका इंतजार फरियादी करते रहे। उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार इसने याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा ली गई इस दलील के आधार पर कि उन्हें याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए कभी निर्देशित नहीं किया गया था, अवमानना याचिका बंद कर दी गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि यह जड़ता का चरण था। उत्तरदाता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका बंद कर दी गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि जड़ता का चरण था उत्तरदाता उस बिंदु से आगे नहीं बढ़े। उन्हें याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश करनी चाहिए थी। उत्तरदाता विज्ञापन के बाद आयु और योग्यता में बदलाव का आशय नहीं ले सकते।

13. यह तर्क दिया जाता है कि विज्ञापन जारी होने की तिथि पर पात्रता मानदंड का पता लगाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता पात्र थे और आयु सीमा के भीतर जब उन्होंने विज्ञापन दिनांक 9.07. 2006 के जवाब में पद के लिए आवेदन किया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि याचिका अनुमति के योग्य है।

14. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बिष्णु विश्वास और अन्य बनाम भारत

संघ और अन्य, (2014)5 SCC 774 और मारिपति नागराज और अन्य V के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है। आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, (2007) 11 एससीसी 522।

15. बिष्णु बिस्वास (सुपरा) के मामलें में, मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, (2010)3 एससीसी 104 और के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में निर्णयों को संदर्भित किया।, (2008)3 एससीसी 512, और पैरा 8 में निम्नानुसार देखा गया :

''8.इस न्यायालय ने रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय {(2010) 3 SCC 104 (2010)1 SCC

(L&S)756 : AIR 2010 SC 3714} में शामिल मुद्दे पर विस्तार से किया है और निम्नानुसार आयोजित किया हैः (एससीसी पृष्ठ 109, पैरा 13–15) ''13 दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य {(1987)4 SCC 646:1988 SCC (L&S) 36: (1987) 5 ATC 148) में इस न्यायालय ने उड़ीसा न्यायिक सेवा नियमों पर विचार किया, जिसमें न्यूनतम कट–आफ अंक निर्धारित करने का प्रावधान नहीं था। चयन के प्रयोजन के लिए साक्षात्कार में। इस न्यायालय ने कहा कि साक्षात्कार में न्यूनतम अंको के निर्धारण के लिए सक्षम प्रावधान के अभाव में स्वयं नियमों में संशोधन करना होगा। उक्त मामले का फैसला करते हुए, न्यायालय ने बीएस यादव बनाम हरियाणा राज्य में अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा किया 1980 आपूर्ति एससीसी 524: 1981 एससीसी (एल एण्ड एस) 343}, पीके रामचन्द्र अय्यर बनाम भारत संघ {(1984)}2 एससीसी 141: 1984 एससीसी एल एण्ड एस) 214}और उमेश चन्द्र शुक्ला बनाम भारत संघ {(1985)3 SCC 721:1985 SCC (L&S) 919} जिसमें यह माना गया था कि नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त चयन के लिए ऐसे मानदण्ड निर्धारित करने के लिए चयन समिति/प्राधिकरण का कोई अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार नहीं था। वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए चयन किया जाना है। और यदि ऐसी शक्ति यानी अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार का दावा किया जाता है तो इसे स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट कारण के लिए क्षेत्राधिकार का दावा किया जाता है तो इसे स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट कारण के लिए आवश्यक निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है कि नियमों से इस तरह के विचलन के कारण अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है।

14. इसी तरह के मंजूश्री बनाम एपी राज्य में।{(2008)}3 एससीसी 512: (2008) 1 एससीसी (एल एण्ड एस) 841} इस न्यायालय ने माना कि भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ के समय चयन मानदंड को अपनाया और घोषित किया जाना चाहिए। खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। सक्षम प्राधिकारी, यदि वैधानिक नियम प्रतिबंधित नहीं करते है, लिखित परीक्षा के साथ–साथ साक्षात्कार के लिए न्यनूतम अर्हक अंक निर्धारित करने लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन इस तरह के नुस्खे को चयन प्रक्रिया की शुरूआत के समय किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के मानदंड मं परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

15. इस प्रकार इस मुद्दे पर कानून का इस आशय से संक्षेपित किय जा सकता है कि यदि वैधानिक नियम चयन के किसी विशेष तरीके को निर्धरित करते हैं, तो इसका कडाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि नियमों द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और कानून में कोई अन्य बाधा नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी चयन के लिए मानदण्ड निर्धारित करते समय परीक्षणो के लिए निर्धारित कर सकता है और लिखित परीक्षा के साथ–साथ मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम बेंचमार्क निर्दिष्ट कर सकता है।''

16. मारिपति नागराज (सुप्रा) के मामलें में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,'' अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत हैं कि उम्मीदवारों के चयन के लिए जो नियम लागू होंगे, वे वही होंगे जो चुनाव प्रचलित थे। अधिसूचना समय यह भी समान रूप से तय है कि राज्य, संवैधानिक सीमाओं के अधीन, भूतलक्षी प्रभाव से नियम में संशोधन कर सकता है।''

17. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिका योग्यता से रहित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपने निवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया:

(i) याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 25.04.2017 के संचार को चुनौति नहीं दी है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है।

(ii) सभी विज्ञापित रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। मौजूदा मामले में, विज्ञापन में ही यह शर्त होती है कि रिक्ति बढ़ या घट सकती है।

(iii) याचिका देरी और कमी के लिए खराब है। पोस्ट विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 वर्ष 2009, 2010 और 2014 में नए विज्ञापन जारी किये गये, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ऐसे विज्ञापनों के जबाव

में कभी आवेदन नही किया।

(iv) के विरूद्ध कोई रिक्त नहीं है

विज्ञापन दिनांक 09.07.2006।

(v) यह न्यायालय बाद में नियुक्ति का निर्देश नही दे सकता है

16 साल का विज्ञापन।

(vi) पोस्ट विज्ञापन दिनांक 09.07.2006, द

प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता में परिवर्तन किया गया और प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए टी0ई0टी0 एक आवश्यक योग्यता है, जो याचिकाकर्ताओं के पास नही है।

(vii) याचिकाकर्ता अधिक आयु के हैं।

(viii) यह न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय।

याचिकाकर्ताओं के सम्बन्ध में शैक्षिक योग्यता के साथ साथ आयु में भी छूट देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश नहीं दिया।

(ix) अपने तर्कों मे समर्थन में, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने बागवानी निदेशक, उडिसा बनाम् प्रवत कुमार दास और अन्य के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भरोसा किया है। (2019) 8 एससीसी 294, एसएस बालू और अन्य बनाम् केरल राज्य और अन्य, (2009) 2 एससीसी 479 और देवेन्द्र सिंह अन्य बनाम् यूपी राज्य और अन्य, (2007) 9 एससीसी 491।

19. पर्वत कुमार दास (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ''इसके बाद, प्रशिक्षण दस चयनित विभागीय फार्मों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन उक्त संचार दिनांक 04.07.1998 में कोई आश्वासन नही है कि उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। माली के पद पर नियुक्ति भर्ती नियमों के सन्दर्भ में, यदि कोई हो, लागू होने या राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत जारी निर्देशों के अनुसार की जानी आवश्यक है, लेकिन नियुक्तियां केवल के लिए नही की जा सकती। कारण है कि एक उम्मीदवार ने प्रशिक्षण लिया है।''

20. एसएस बालू (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार के निहित के अधिकार के साथ साथ देरी और कमी के पहलू पर कानून पर चर्चा की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ''इस मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नही किया जाता है। एक व्यक्ति को नियुक्त होने का कानूनी अधिकार केवल इसलिए प्राप्त नही होता है, क्योंकि उसका नाम चयन सूची में दिखाई देता है।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा, ''एक नियोक्ता के रूप में राज्य को सभी पदों को भरने या न भरने का अधिकार है।''

21. देरी के सवाल पर, एसएस बालू के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि'' देरी इक्विटी को हरा देती है।

22. देवेन्द्र सिंह (सुप्रा) के मामले में, विवाद उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष बीटीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ''उक्त प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और प्रशिक्षण की व्यवस्था उसके तहत शामिल दिशानिर्देशों, निर्देशों, शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार आयोजित की जानी आवश्यक है। अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी खुद को योग्य नही पाया। उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए चूंकि उनका चयन नही किया गया था क्योंकि वे मेधावी या अधिक आयु के नही पाये गये थे, जैसा भी मामला हो। यह प्रदर्शित नही किया गया है कि कैसे अपीलकर्ता विशेष बीटीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2004 में चयन के लिए पात्र थे। 14.01.2004 से नीतिगत निर्णय की वैधता इन अपीलों में विवादित नही है।''

23. कई मुकदमे इस मामले को इस हद तक ले गये हैं। विवाद बहुत ही कम दायरे मे है यानी क्या याचिकाकर्ता उस पद पर नियुक्त होने के योग्य हैं, जिसके लिए उन्होने आवेदन किया था?

24. दलीलों के दौरान, न्यायालय ने विद्वान राज्य अधिवक्ता से जानना चाहा कि नियुक्ति के मामलों में योग्यता के साथ–साथ आयु के मामलें में पात्रता का निर्धारण करने की तिथि कौन सी होगी? क्या यह वह तरीख होनी चाहिए जब विज्ञापन जारी किया गया था या जिस तारीख को नियुक्ति की पेशकश की गईं थी?

25. विद्वान राज्य अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यदि विज्ञापन भर्ती नियमों के अनुरूप जारी किया जाता हैं, तो पात्रता के साथ–साथ आयु के निर्धारण की तिथि विज्ञापन की तिथि होगी।

26. वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों द्वारा यह नहीं कहा गया है कि विज्ञापन नियमों के अनुरूप नहीं था। यह उत्तरदाताओं का दावा नहीं है।

27. विज्ञापन 09.07.2006 को जारी किया गया था। उत्तरदाताओं का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की तारीख पर पात्र नहीं थे। प्रतिवादियों का यह भी मामला नहीं है कि जिस तिथि को याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 पर प्रतिक्रिया दी, वे नियुक्ति के लिए निर्धरित आयु सीमा के भीतर नहीं थे। यह न्यायालय के ध्यान में भी नहीं लाया गया है या यह प्रतिवादियों का मामला भी नहीं है कि विज्ञापन के बाद, राज्य सरकार द्वारा किसी भी नियम में संशोधन किया गया था और ऐसे नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है।

28. नियुक्ति संबंधी कानून सुस्थापित है। यह सेवा न्यायशास्त्र की नींव में से एक है कि भर्ती की प्रक्रिया विज्ञापन के बाद नहीं बदली जा सकती है, जब तक कि नियमों में संशोधन या पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियम में संशोधन के रूप में विशेष परिस्थितियॉ न हों। तत्काल ऐसा मामला नहीं है।

29. यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए पात्र थे जब उन्होंने विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 के जवाब में आवेदन किया था। यदि वे बाद में अधिक आयु

के हो गए हैं, तो यह उन्हें नियुक्ति के लिए आयोग्य नहीं बनाता है। यदि बाद में पद के लिए कोई योग्यता बदली जाती है, तो इसका भी याचिकाकर्ताओं के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्यथा भी, राज्य ऐसे शिक्षकों को नहीं हटा सकता है, जो पहले से ही विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 के आधार पर नियुक्त किए जा चुके हैं और जिनके पास आवश्यक टीईटी योग्यता नहीं है, जिसे बाद में सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवश्यक योग्यता बना दिया गया है।

30. यह इस मामले का एक पहलू है। दरअसल, जवाबी हलफनामे में प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति न करने के लिए आयु और योग्यता से संबंधित इस आधार को लिया है यह सच है कि राज्य रिक्तियों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। यह राज्य सरकार का अधिकार या विशेषाधिकार है। लेकिन, फिर यह भी तय कानून है कि राज्य सरकार का ऐसा फेसला न्यायिक समीक्षा का विषय होता है।

31. शंकरसन दास बनाम भारत संघ, (1991)3 एससीसी 47 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार किया और पाया कि राज्य के पास मनमाने ढंग स कार्य करने का कोई लाइसेंस नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय न निर्णय के पैरा 7 में निम्नानुसार टिप्पणी की।

इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने ढंग से कार्य करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियों या उनमें से किसी को भरा जाता है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में दर्शाया गया है, और किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है, और हमे इसमें निर्णयों में कोई असंगत नोट नहीं मिला है और यदि रिक्तियों या उनमें से किसी को भरा जाता है राज्यों उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में दर्शाया गया है, और किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है, और हमें इसमें निर्णयों में कोई असंगत नोट नहीं मिला है, हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चन्द्र द्वारा मरवहा (1974)3 एससीसी 220: 1973 एससीसी (एल एंड एस) 488: (1974) 1 एससीआर 165 } नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य {(1986) 4एससीसी 268:1986 एससीसी (एल एंड एस)759,} या जतिन्द्र कुमार बनाम पंजाब राज्य }{(1985)1 SSC 122:1985 SSC L&S174(1985) 1 SCR 899}।

(जोर दिया गया)

32. राज्य को बताना होगा कि वे रिक्तयां को क्यों नहीं भर रहें है। यह एक मनमानी कार्रवाई नहीं हो सकती है। राज्य एक चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकता है और एक ही रिक्ति को भरने के लिए एक और विज्ञापन जारी कर सकता है और यदि ऐसा किया जा रहा है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए कारण बताए जाने हैं।

33. माना जाता है कि वर्ष 2015 में उत्तरदाताओं द्वारा सहायक शिक्षक, प्राथिमिक विद्यालय के रिक्त पदों को

भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। यह उस चरण में है जब याचिकाकर्ताओं द्वारा दूसरी याचिका यानी 2015 की रिट याचिका(S/S) संख्या 242 दायर की गई थी। इससे पहले, यह ध्यान दिय जा सकता है कि, जब रिट याचिकाओं के पहले सेट में, विशेष अपील संख्या 2010 की विशेष अपील संख्या 162, राकेश कुमार और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य में , इस न्यायालय ने 03.01.2019 को विशेष अपील की थी। 2011 को निम्नानुसार मनाया गयाः

'' हम यह भी स्पष्ट करते है। कि नियमित बी.एड. डिग्री धारकों के लिए उपलब्ध सीटों की आपूर्ति क्षेत्र के कानून के अनुसार की जानी आवश्यक है और यदि इसकी आपूर्ति नहीं की गई है, तो इसके संबंध में कदम भी साथ–साथ उठाए जाने चाहिए।''

34. उत्तरदाओं ने विज्ञापन दिनांक 09.07.2006 के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया। उन्होंने 14.02.2015 को एक और विज्ञापन जारी किया और जब दूसरी याचिका यानी डब्ल्यूपी (एस/एस) संख्या 242/2015 में यह मुद्दा उठाया गया था, तो राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि दिनांक 14.02.2015 के विज्ञापन को तथ्यों के आलोक में पढ़ा जाएगा। 03.01.2011 को 2010 की विशेष अपील संख्या 162 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और इस न्यायालय द्वारा निर्देशित 161 सीटों से अधिक कोई भी सीट बी.एड. डिग्री (पत्राचार) और केवल उन शेष सीटो को बीएड द्वारा भरा जाएगा। डिग्री (पत्राचार), जो 161 सीटों में से रिक्त हैं, और अन्य सीटें उन उम्मीदवारों क्षरा भरी जाएंगी, जिनके पास बीएड नियमित मोड के माध्यम से डिग्री ।

35. प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। दरअसल, इस पर प्रतिवादियों की ओर से कोई तर्क नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद नियुक्त क्यों नहीं किया गया? एक तर्क दिया गया है कि राज्य ने कभी भी को

कोई वचन नहीं दिया है कि प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

36. याचिकाकर्ताओं की ओर से शासनादेश दिनांक 13.06.2006 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें विशिष्ट बीटीसी के चयन की प्रकिया कॉल्म संख्या 8 में दी गई है, इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया और योग्यता सूची तैयार करने का प्रावधान है। कॉलम संख्या 11 में प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान है और कॉलम संख्या 12 में यह प्रावधान है कि सफल उम्मीदवारों को रिक्ति पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

37. बड़े ही अजीब तरीके से राज्य की ओर से अवमानना याचिका में हलफनामा दाखिल किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रशिक्षण तो ले लिया है और उसे पूरा कर लिया है, लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए कोर्ट का कोई निर्देश नहीं आया है, सवाल यह है कि उन्होंने प्रशिक्षण क्यों लिया था? वे काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए। ये चयनित उम्मीदवार थे। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई। जैसा कि कहा गया, इसका कोई जवाब नहीं कि उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया गया, सिवाय योग्यता और आयु के मुद्दे

के, जिसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि, जैसा कि कहा गया है, विज्ञापन की तिथि पर, याचिकाकर्ता योग्य थे और सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर थै यह भी धयान दिया जा सकता है कि जब इस न्यायालय द्वारा 26.02.2015 को दूसरी याचिका का फैसला किया गया था, पदों और न्यायालय को सूचित करने के लिए। पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाए गए।

38. याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई। उन्हें मानदेय दिया जाता था। सफल प्रशिक्षण के लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। यह स्पष्ट करता है कि यचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं देने का राज्य सरकार का निर्णय पूरी तरह से मनमाना है। इसका कोई आधार नहीं है।

39. एक तर्क दिया गया है कि यचिका देरी के लिए खराब है यह तर्कसंगत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कुछ भी देरी नहीं की। वे मामले की पैरवी कर रहे थे। याचिककर्ताओं की ओर से निवेदन किया जाता है कि वास्तव में एसपीए संख्या याचिकाकर्ताओं द्वारा 2010 का 162 दायर किया गया जब ऐसे बीएड के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया खोली गई थी। डिग्री धारक, जिसने ऐसी डिग्री पत्राचार माध्यम से प्राप्त की हो। जब नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई, तो उन्होंने दूसरी रिट याचिका यानी WP(S/S) संख्या 242/2015 दायर की, जिस पर राज्य सरकार के आश्वासन पर 26.02.015 को निर्णय लिया गया। लेकिन, फिर भी जब याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हुई तो उन्होंने अवमानना याचिका दायर की और दिनांक 19.09.2019 को अवमानना याचिका को बंद कर दिया गया। इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश करने के लिए न्यायालय का कोई निर्देश नहीं था।

40. जैसा कि कहा गया है, राज्य के पास भी कोई जवाब नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश क्यों नहीं की गई। जवाबी हलफनामें में केवल उम्र और योग्यता के संबंध में आपत्ति ली गई है, जो कानून की नजर में मान्य नहीं है।

41. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए।

42. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि जनपद हरिद्वार के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाए। यह आज से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(रवीन्द्र मैठानी, जे.) 28.04.2022